न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०
अज अदालत सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
08/2019	20/05/2019	17/10/2025

1. शौभागमल पुत्र भेरिया उर्फ भैरूलाल
2. लोचन प्रकाश पुत्र श्री केदारलाल जाति मीणा निवासीगण भैरूपुरा तह0 पीपल्दा जि० कोटा

प्रार्थीगण

बनाम

1. योगेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री मदनलाल
2. अरवेन्द पुत्र श्री मदनलाल
3. राजेश पुत्र श्री मदनलाल
4. सीमा पुत्री मदनलाल
5. चमेलीबाई उर्फ सुलोचना पुत्री मदनलाल
6. मोहनीबाई उर्फ पार्वती बाई बेवा मदनलाल जाति मीणा नि० जोरावरपुरा तहसील पीपल्दा जि० कोटा
7. राज० सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जि० कोटा राज

प्रतिवादीगण

प्रार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री विकास पारेता एड0।
अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्तः– श्री रमेशचन्द बैरवा एड0।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भैरूपुरा तह0 पीपल्दा जि० कोटा में पुराना खसरा नम्बर 217/39 की 7 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित चली आ रही थी। उपरोक्त भूमि मिसल सं0 322 दिनांक 21.12.1961 को प्रार्थीगण के पिता व दादा भैरया पुत्र श्री भूरा जाति मीणा नि. भैरूपुरा को अभियान केम्प से नीलाम आवंटन की गई थी, जिसकी दखल नामा भी भैरया पुत्र भूरा को दिया गया, जिसकी सनद सं० 300 अतिरिक्त कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डनायक उप निवेशन कोटा द्वारा दिनांक 15.10.73 को जारी की गई, जिसके आधार पर नामान्तरण 112 से उक्त भूमि भैरया पुत्र श्री भूरा जाति मीणा नि. भेरूपुरा की गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज की गई, जिस पर प्रार्थीगण के पिता व दादा भैरया पुत्र भूरा जाति मीणा नि. भेरूपुरा का कब्जा काश्त चला आ रहा था नकल सनद व नकल नामान्तरकरण वाद पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थीगण के पिता व दावा भेरया पुत्र भूरा जाति मीणा के नाम का एक अन्य दूसरा व्यक्ति ग्राम जोरावरपुरा में निवास करता था, जिसके नाम ग्राम भैरूपुरा में खसरा नम्बर 38 की 11 बीघा 4 बिस्वा व खसरा सं0 196/39/3 की 8 बीघा 14 बिस्वा 2 किता की 19 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित चली आ रही थी जिसकी नकल जमाबंदी संवत 2023 से 25 वाद पत्र के साथ संलग्न है। अप्रार्थी नं. 7 से राजस्व कर्मचारियों ने नामान्तरण सं. 112 से उक्त भूमि प्रार्थीगण के पिता व दावा भेरया पुत्र भूरा जाति मीणा नि भैरूपुरा की खातेदारी में दर्ज नहीं कर ग्राम जोरावरपुरा निवासी भैरया पुत्र भूरा जाति मीणा के खाते सहवन से दर्ज कर दी और ख.नं. 38 की 11 बीघा 4 बिस्वा व ख. नं 196/39/3 की 8 बीघा 15 बिस्वा के साथ उक्त विवादित भूमि खसरा नं. 217/39 की 7 बीघा 15 बिस्वा भूमि शामिल करते हुए कुल 3 किता की 27 बीघा 14 बिस्वा भूमि दर्ज कर दी जो गलत है। भैरया पुत्र भूरा जाति मीणा नि० जोरावरपुरा के दादा थे, भैरया पुत्र भूरा जाति मीणा, नि. जोरावरपुरा का एक मात्र पुत्र मदनलाल था. जिसका भी देहावसान हो चुका है, और भैरया पुत्र भूरा जाति मीणा नि. जोरावरपुरा की जमीन पर अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हो रहा है। उपरोक्त विवादित खसरा नं. 217/39 की 7 बीघा 15 बिस्वा भूमि पर प्रार्थीगण के पिता व दादा भैरया पुत्र

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

भूरा जाति मीणा नि. भैरूपुरा का ही कब्जा काश्त लगातार चलता रहा, कभी भैरया पुत्र भूरा जाति मीणा नि.जोरावरपुरा का अथवा उसके वारिसान अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं रहा और न है। दौरान अप्रार्थी नं. 7 के सेटलमेंट विभाग द्वारा सेटलमेंट कार्य कर दिया गया और उक्त खसरा नं. 217/39 की रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा भूमि के नये खसरा नम्बर 228 की 0.78 व खसरा नं. 229 की 0.22 है0, भूमि कायम किये गये, नवल मिलान क्षेत्रफल सं. 2041 से 60 पेश है। दौरान अप्रार्थी नं. 7 के सेटलमेंट विभाग द्वारा सेटलमेंट कार्य कर दिया गया और भैरया पुत्र भूरा जाति मीणा नि. जोरावरपुरा के खाते की खसरा नं. 38 की 11 बीघा 4 बिस्वा व खसरा नं. 196/39/3 की 8 बीघा 15 बिस्वा भूमि के नये खसरा नं. 155 की 0.35 है०, खसरा नं. 156 की 0.35 है०, खसरा नं. 157 की 0.65 है०, व खसरा नं. 237 की 1.80 है० कायम किए गये। बाद सेटलमेंट प्रार्थीगण के पिता व दादा, दादा भैरया पुत्र भूरा जाति मीणा नि. भैरूपुरा की नये खाता नं. 228 की 0.78 है0, व खसरा नं. 229 की 0.22 है०, की भूमि को अन्य व्यक्ति भैरया पुत्र भूरा जाति मीणा नि. जोरावरपुरा की अन्य भूमि खसरा नं. 155 की 0.65है0, ख. नं. 156 की 035है0, खसरा नं. 157 की 0.65 है०, व खसरा नं. 237 की 1.80 है. के साथ उनके खाते दर्ज कर दी जो गलत है। भैरया पुत्र भूरा जाति मीणाा नि० जोरावर उनके पुत्र मदनलाल का देहावसान हो जाने पर उक्त भूमि अप्रार्थीगण के खाते सवहन से दर्ज चली आ रही है, जबकि विवादित भूमि खसरा नं0 228 की 0.78 है0 व खसरा नं. 229 की 0.22 है0, भूमि से अप्रार्थीगण का कोई संबंध नहीं है और न कभी कब्जा काश्त रहा है। ग्राम मौलपुरा की खसरा नं. 228 की 0.78 है0, व खसरा नं. 229 की 0.22 है0, के खातेदार प्रार्थीगण है, और प्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है, उक्त भूमि सवहन से अप्रार्थीगण के खाते दर्ज हो जाने से उक्त भूमि को अप्रार्थीगण के खाते से हटायी जाकर भैरया पुत्र भूरा जाति मीणा नि0 भैरूपुरा के वारिसान प्रार्थीगण के खाते दर्ज किया जाना व खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक हो गया है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के पिता व दादा भैरया पुत्र भूरा जाति मीणा नि. भैरूपुरा को आवंटित भूमि के नये खसरा नं. 228 की 0.78 है०, व खसरा नं. 229 की 0.22 है. भूमि वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज चली आ रही है, जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है, प्रार्थीगण को ऋण लेने की आवश्यकता होने पर जमाबन्दी निकलवाने पर उक्त तथ्यों की जानकारी हुई, इस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से उक्त भूमि उनके खाते से हटाकर प्रार्थीगण के खाते दर्ज करने हेतु कहां तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया व प्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने व उक्त भूमि को रहन, बैचान करने की धमकी दी इस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण नं0 7 से राजस्व रिकॉर्ड में उक्त प्रकार से दुरूस्ती करने व उक्त भूमि अप्रार्थीगण के खाते से हटाकर प्रार्थीगण के पिता व दादा के नाम व उसकी मृत्यु के बाद प्रार्थीगण के नाम खाते दर्ज करने हेतु दिनांक 20.04.2019 को कहा तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। वर्तमान में खसरा नं. 228 की 0.78 है०, व खसरा 229 की 0.22 है० भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है यदि अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करने व भूमि को रहन, बेचान करने से नही रोका गया तो इससे प्रार्थीगण को अपार क्षति होगी जिंसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार नही हो सकेगी। वाद कारण राजस्व विभाग द्वारा गलत तौर पर प्रार्थीगण से पिता व दादा के खातेदार की भूमि को गलत तौर पर एक ही नाम राशि के अन्य व्यक्ति जो ग्राम जोरावरपुरा मे निवास करता है, के खाते दर्ज करने पर व विवादित भूमि पर अप्रार्थीगण व उनके पिता व दादा का कहना नहीं होने व उक्त भूमि प्रार्थीगण के कब्जे की भूमि होने पर व वर्तमान रिकार्ड के अनुसार अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की कब्जे शुदा भूमि को अपनी भूमि बता कर बेदखल करने व प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करने की धमकी देने व अप्रार्थीगण नं. 7 द्वारा राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करने से दिनांक 20.4.2019 को इंकार करने पर पैदा हुआ। उपरोक्त उनवानी वाद प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस है, तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के ही पक्ष में है, तथा अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण को ही होनी है, जिसकी पूर्ति किया जाना न्याय हित में आवश्यक नही है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर

सहायक कलक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण के पक्ष एवं अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की की, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त से अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखल अंदाजी, व्यवधान, रहन, भूमि के बेचान एवं हस्तान्तरित नही करे ऐसा कृत्य न तो स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधियों से करावे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से श्री विकास पारेता एड0 ने पेश किया रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थीगण की ओर से श्री रमेशचन्द बैरवा एड0 ने वकालतनामा पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया नहीं है, न ही प्रार्थीगण के पक्ष में सुविधा का संतुलन है, न ही प्रार्थीगण को किसी प्रकार की हानि होगी। उभयपक्ष बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस के दौरान कथन किया कि वाद पत्र में वर्णित ग्राम भेरूपुरा प0ह0 जोरावरपुरा स्थित पुराने ख0नं0 217/29 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा पर प्रार्थी को वर्ष 1981 गैर खातेदारी तथा 06.10.1973 को खातेदारी मिली परन्तु नामान्तरण दर्ज करते वक्त उक्त भूमि को इसी नाम के जोरावरपुरा निवासी (भेरया वल्द भूरा जाति मीना) के खाते दर्ज कर स्वीकृत कर दिया गया। जबकि यह प्रार्थी की खातेदारी भूमि थी तथा आज भी प्रार्थी इस पर काबिज है। सेटलमेंट पश्चात इसके दो ख0नं0 228 रकबा 0.78है0 तथा 229 रकबा 0.22है0 पैमूद किए गए। राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी के नाम का ऋटिपूण्र अंकन होने के कारण अप्रार्थी द्वारा भूमि को खुर्द–बुर्द किया जा सकता है जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। अतः मूल वाद के अंन्तिम निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में प्रार्थी के कथनों का खण्डन करते हुए कहा कि अप्रार्थी का नाम सही दर्ज किया गया है तथा अप्रार्थी विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है अतः अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती।

उभयपक्ष बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया तथा पत्रावली पर विद्यमान दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। आंवटन आदेश से उक्त भूमि का प्रार्थी को आवंटन प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है जिसके प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। कालान्तर में उक्त आदेश की पालना क्यों और कैसे राजस्व रिकॉर्ड में नहीं हुई तथा भूमि किस प्रकार अप्रार्थी के राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी के खाते में आई यह मामले में विचारण का विषय है जो कि साक्ष्य लेखबद्ध कर निर्णित किया जाना है। दौराने वाद विवादित भूमि के हस्तातरण से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होने की संभावना है। मूल वाद में निर्णय अगर वादी पक्ष में होता है तथा इस दौरान भूमि का अंतरण हो जाता है तो प्रार्थी के साम्पतिक अधिकारों से वंचित होने की संभावना होगी जिससे वाद दायर करने का मूल उद्देश्य ही निष्फल हो जायेगा तथा अपूरणीय क्षति कारित होगी। विवादित भूमि के खुर्द–बुर्द होने से प्रार्थी को वादों की बहुलता का सामना करना पडेगा तथा असुविधा कारित होगी। इस प्रकार सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है क्योंकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने से प्रार्थी को हुई असुविधा अप्रार्थी को हुई असुविधा की तुलना में अधिक होगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी मूल वाद के अंतिम निर्णय तक ख0नं0 228 रकबा 0.78है0 तथा ख0नं0 229 रकबा 0.22है0 पर रिकॉर्ड और मौके की यथास्थिति बनाए रखे तथा उक्त भूमि को संक्रामित, व्ययनित या भारग्रस्त नहीं करे तथा प्रार्थीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में मदाखलत तथा मजाहमत न तो स्वयं करे न ही किसी प्रतिनिधि से करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक इटावा

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)